सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ, 1938 (श०)

संख्या- 122 राँची, गुरुवार,

9 फरवरी, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

6 फरवरी, 2017

संख्या-1/स्था०/न०वि०/न्या/142/2012-973-- नगरपालिका के कर्मियों के पेंशन एवं उपादान के भुगतान के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है ।

2. इस संबंध में सुसंगत प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

2.1 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-58 में प्रावधानित है कि नगरपालिका के कर्मी पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, वेतन एवं भत्ते नगरपालिका निधि से प्राप्त करेंगे ।

2.2 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6.2 के प्रावधान निम्नवत हैं:-

2.2.1 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा-58 (1) एवं (2) के अध्यधीन संबंधित स्थानीय नगर निकाय, इन कर्मियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, इत्यादि के लिए सीधे जिम्मेवार होंगे ।

2.2.2 अगर शहरी स्थानीय निकाय के तहत पदस्थापित कर्मियों का वेतन भत्ते इत्यादि देने में संबंधित निकाय असफल होते है तो राज्य सरकार स्वविवेक से आनुपातिक आवंटन काट कर क्षतिपूरक अनुदान के रूप में संबंधित स्थानीय नगर निकाय को मदद के तौर पर विमुक्त कर सकेगी ।

3. उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट प्रावधान के आलोक में नगरपालिका के कर्मियों के पेंशन एवं उपादान का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाना है ।

झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 में भी उक्त प्रावधान का अंकन किया गया है, परन्तु, यह भी प्रावधानित है कि उक्त भुगतान में यदि निकाय असफल होते हैं, तो राज्य सरकार स्वविवेक से क्षतिपूरक अनुदान विमुक्त करेगी ।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूरक अनुदान विमुक्त करने में निम्नांकित कठिनाईयाँ हैं:-

3.1 उक्त प्रावधान झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं ।

3.2 पेंशन एवं उपादान के भुगतान हेतु अनुदान की राशि विमुक्त करने में अनेक विषमतायें उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विभिन्न नगर निकाय उनके अधीनस्थ कर्मियों के पेंशन एवं उपादान के भुगतान हेतु विभाग पर निर्भर करेंगे और इस स्थिति में राजकोष पर अतिशय वित्तीय बोझ पड़ेगा ।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि नगरपालिका के कर्मियों के पेंशन एवं उपादान का भुगतान संबंधित नगरपालिका निधि से ही किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 122--50